

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टैक्नीशियन, ईसीजी टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष-2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफ्ट) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में सहायक रेडियोग्राफर व फार्मासिस्ट पद हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी. 14080/2023 राजेन्द्र बेनिवाल बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश की पालना में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर निर्णय लिये जाने बाबत नीति-निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित कॉन्फरेंस हॉल में मध्याह्न 03:00 बजे आयोजित की गई।

बैठक में अग्रांकित अधिकारियों (अथवा नामित प्रतिनिधि) द्वारा भाग लिया गया :-

1.	प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय	सदस्य
2.	विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल.	सदस्य
3.	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग	सदस्य
4.	कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
5.	विधि विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
6.	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य सचिव
7.	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर या प्रतिनिधि	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
8.	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान	सदस्य
9.	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कॉंसिल, जयपुर	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
12.	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय/मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर- प्रथम	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर- द्वितीय	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
15.	औषधि नियंत्रक- प्रथम, आयुक्तालय औषधि नियंत्रक एवं खाद्य सुरक्षा, चि. एवं स्वा. विभाग, राजस्थान।	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
16.	रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मसी कॉंसिल, जयपुर	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य

S.No.	नीतिगत निर्णय संख्या	NAME	FATHER's NAME	ID NO.	परिवेदना	वस्तुपरक टिप्पणी	नीति निर्धारण समिति का निर्णय

1	49	Babulal Choudhary	Kanhailal Choudhary	PH188872	<p>अभ्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 14099 / 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में स्वयं के कार्यानुभव के आधार पर 20 के स्थान पर 25 बोनस अंक, कोविड अवधि के 15 अंक पृथक से जोड़ने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं को 20 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अभ्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। उक्त आदेश के पैरा सं. 2 के बिन्दु सं. 1 पर स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कोविड काल से पूर्व नियुक्त हुए हैं वे यदि कोविड काल में भी कार्यरत रहते हैं तो उन्हे भी उपरोक्तानुसार 15/20/30 प्रतिशत बोनस अंक ही देय होंगे। अभ्यर्थी श्री चौधरी को कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 20 बोनस अंकों का लाभ प्राप्त है। अंतः अब कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थी श्री बाबूलाल चौधरी का अभ्यावेदन अस्थीकार कर निस्तारित किया जाता है।</p>
---	----	-------------------	---------------------	----------	---	---

2	50	Giriraj Kumar Suhalka	Gopal Lal	PH202450	<p>अम्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 896/2024 में माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर स्वयं के कार्यानुभव के आधार पर 20 के स्थान पर 25 बोनस अंक, कोविड अवधि के 15 अंक पृथक से जोड़ने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अम्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अम्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं को 20 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अम्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। अम्यर्थी द्वारा 4 अनुभव प्रमाणपत्र (2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ व 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के) संलग्न किये गये हैं जिनमें 1 में दर्शायी गई अवधि ओवरलैपिंग के कारण मान्य नहीं है। इस प्रकार कुल अनुभव अवधि 2 वर्ष से अधिक किन्तु 03 वर्ष से कम है। इस प्रकार अम्यर्थी को कोविड अवधि के कार्यानुभव को मिलाकर अधिकतम 20 बोनस अंकों का लाभ देय है। अम्यर्थी को कार्यानुभव के आधार कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष या अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष या अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। उक्त आदेश के पैरा सं. 2 के बिन्दु सं. 1 पर स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे अम्यर्थी जो कोविड काल से पूर्व नियुक्त हुए हैं वे यदि कोविड काल में भी कार्यरत रहते हैं तो उन्हें भी उपरोक्तानुसार 15/20/30 प्रतिशत बोनस अंक ही देय होंगे। अम्यर्थी श्री सुहाल्का को कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 20 बोनस अंकों का लाभ प्राप्त है। अतः अब कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप अम्यर्थी श्री गिर्जन कुमार सुहाल्का का अम्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।</p>
---	----	-----------------------	-----------	----------	--

					पर अधिकतम 20 बोनस अंकों का लाभ प्राप्त है।	
3	51	Bharatha Ram	Dungra Ram	PH188441	<p>अम्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 14099 / 2023 में माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर स्वयं के कार्यानुभव के आधार पर 15 के स्थान पर 25 बोनस अंक, कोविड अवधि के 15 अंक पृथक से जोड़ने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अम्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अम्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं को 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अम्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। उक्त आदेश के पैरा सं. 2 के बिन्दु सं. 2 पर स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे अम्यर्थी जो कोविड काल से पूर्व नियुक्त हुए हैं वे यदि कोविड काल में भी कार्यरत रहते हैं तो उन्हे भी उपरोक्तानुसार 15/20/30 प्रतिशत बोनस अंक ही देय होंगे। अम्यर्थी श्री भरथा राम को कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 20 बोनस अंकों का लाभ प्राप्त है। अतः अब कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप अम्यर्थी श्री भरथा राम का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।</p>	



					जोधपुर में दायर रिट याचिका संख्या 14099 /2023 बाबूलाल चौधरी बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के ई-कोर्ट सर्वर पर उक्त रिट याचिका में अभ्यर्थी का नाम याचिकाकर्ता के रूप में होना नहीं पाया गया है।	
4	52	Lalit Kumar	Bhagwan Singh	PH164460	<p>अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548 /2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में स्वयं के कार्यअनुभव के आधार पर 15 के स्थान पर 25 बोनस अंक जोड़ने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी को कोविड अवधि का 10 दिवस का भुगतान नहीं किया गया है।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं को 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अभ्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है। कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्लैब है। अभ्यर्थी द्वारा 2 अनुभव प्रमाणपत्र चिकित्सा अधीक्षक, जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कालेज संलग्न चिकित्सालय समूह, भरतपुर द्वारा जारी व 1 अनुभव प्रमाणपत्र 10 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी संलग्न किये गये हैं जिनकी कुल अनुभव</p>	<p>नियमानुसार कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है, कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.2023 के पैरा सं. 2 के बिन्दु सं. 2 पर स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कोविड काल में नियुक्त हुए हैं वे यदि कोविड काल उपरान्त भी कार्यरत रहते हैं अथवा नहीं रहते हैं तो उन्हे भी उपरोक्तानुसार 15 / 20 / 30 प्रतिशत बोनस अंक ही देय होंगे। इसके अतिरिक्त अनुभव अवधि के भुगतान के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया गया हो तो उस अवधि को गणना में सम्मिलित</p>

					<p>अवधि 2 वर्ष से कम है। इस प्रकार अन्यथी को कोविड अवधि के कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। किन्तु अन्यथी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ है जबकि वह दस्तावेज सत्यापन में इस अवधि को गणना में लेते हुए समिलित हुआ है। अतः यदि भुगतान नहीं होने के आधार पर कोविड अवधि को गणना में समिलित नहीं किया जाये तो अन्यथी को मात्र 10 प्रतिशत अंक देय होंगे। अतः समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है कि भुगतान के अभाव में कोविड अवधि के कार्यानुभव को गणना में समिलित किया जाये अथवा नहीं? रिट याचिका सं. 2577/2020 महीपाल लखेरा बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुभव की गणना छयूटी चार्ट अथवा दिनों की संख्या के आधार पर किया जाना मनमाना है (आर्विटरी)। इसी निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एक व्यक्ति को माह में 20 दिन कार्य करने के एवज में पूरे माह का भुगतान हो गया है तो उसका अनुभव 30 दिन का क्यों न माना जाये? इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अनुभव की गणना हेतु जिस अवधि का भुगतान हुआ है उसे प्रमुख माना है।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अन्यथियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अन्यथी द्वारा आयेदन फार्म में स्वयं को 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अन्यथी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में</p>	<p>नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में समिलित कर तदनुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निरस्तारण किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि सम्बन्धित अधिकारी से भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जाये कि उक्त अवधि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं एवं यदि किया जाना अपेक्षित है तो अब तक भुगतान लम्बित रहने का कारण तथा भुगतान किये जाने की संभावित समय सीमा की जानकारी प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।</p> <p>नियमानुसार कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है, कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने</p>
5	53	Jaid Ahamad	Abdul Hanif	PH182096	<p>अन्यथी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के 15 बोनस अंक के अतिरिक्त 01 वर्ष के सामान्य दिवसों के 10 बोनस अंक</p>	<p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अन्यथियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अन्यथी द्वारा आयेदन फार्म में स्वयं को 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अन्यथी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में</p>

जोड़कर कुल 25 बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी को कोविड अवधि का 9 दिवस का भुगतान नहीं किया गया है।

02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है, कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 रुपैये हैं। अभ्यर्थी द्वारा 2 अनुभव प्रमाणपत्र (1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर एवं 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम का) संलग्न किये गये हैं जिनकी कुल अनुभव अवधि 2 वर्ष से कम है। इस प्रकार अभ्यर्थी को कोविड अवधि के कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। किन्तु अभ्यर्थी को कोविड अवधि (दिनांक 21.5.2021 से 27.05.2021) का भुगतान नहीं हुआ है जबकि वह दस्तावेज सत्यापन में इस अवधि को गणना में लेते हुए सम्मिलित हुआ है। यदि कोविड अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाये, क्योंकि इस अवधि का भुगतान नहीं हुआ है तो अभ्यर्थी को मात्र 10 प्रतिशत अंक देय होंगे। अतः समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है कि भुगतान के अनाव में कार्यानुभव को गणना में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं? रिट यादिका सं. 2577/2020 महीपाल लखेरा बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुभव की गणना छहूटी चार्ट अथवा दिनों की संख्या के आधार पर किया जाना मनमाना है (आर्विटरी)। इसी निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एक व्यक्ति को माह में 20 दिन कार्य करने के एवज में पूरे माह का भुगतान हो गया

का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.2023 के पैरा सं. 2 के बिन्दु सं. 2 पर स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कोविड काल में नियुक्त हुए हैं वे यदि कोविड काल उपरान्त भी कार्यरत रहते हैं अथवा नहीं रहते हैं तो उन्हे भी उपरोक्तानुसार 15/20/30 प्रतिशत बोनस अंक ही देय होंगे। इसके अतिरिक्त अनुभव अवधि के भुगतान के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया गया हो तो उस अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निरतारण किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि सम्बन्धित अधिकारी से भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जाये कि उक्त अवधि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं एवं यदि किया जाना अपेक्षित है तो अब तक भुगतान

					है तो उसका अनुभव 30 दिन का क्यों न माना जाये? इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अनुभव की गणना हेतु जिस अवधि का भुगतान हुआ है उसे प्रमुख माना है।	लम्बित रहने का कारण तथा भुगतान किये जाने की संभावित समय सीमा की जानकारी प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।
6	54	Naveen Kumar Gaur	Jagdish Prasad Gaur	PH165436	<p>अम्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना मेंकोविड काल के 15 बोनस अंक के अतिरिक्त 01 वर्ष के सामान्य दिवसों के 10 बोनस अंक जोड़कर कुल 25 बोनस अंक देने हेतु नियेदन किया है।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अम्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अम्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं को 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया। अम्यर्थी द्वारा कोविड काल का अनुभव पृथक से मांगा जा रहा है जो नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है, कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कार्यानुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20, 30 एवं कोविड काल (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022) को मिलाकर मात्र 04 स्टैब है। अम्यर्थी श्री नवीन कुमार द्वारा 3 अनुभव प्रमाणपत्र चिकित्सा अधीक्षक, जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कालेज संलग्न चिकित्सालय समूह, भरतपुर द्वारा जारी व 1 अनुभव प्रमाणपत्र 9 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये गये हैं जिनकी कुल अनुभव अवधि 2 वर्ष से कम है। इस प्रकार अम्यर्थी को कोविड अवधि के कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। किन्तु अम्यर्थी को कोविड अवधि के 9 दिवस का भुगतान</p>	<p>नियमानुसार कोविड काल में 02 वर्ष से कम कार्यरत रहने पर 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं 02 वर्ष से अधिक होने पर 20 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक होने पर 30 प्रतिशत बोनस अंक देने का प्रावधान है, कोविड अवधि का अलग से कोई बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.2023 के पैरा सं. 2 के बिन्दु सं. 1 पर स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे अम्यर्थी जो कोविड काल से पूर्व नियुक्त हुए हैं वे यदि कोविड काल में भी कार्यरत रहते हैं तो उन्हे भी उपरोक्तानुसार 15/20/30 प्रतिशत बोनस अंक ही देय होंगे। चूंकि कोविड अवधि का भुगतान किया जा चुका है, अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 05.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निरस्तारण किया गया।</p>

					आवेदन की अंतिम तिथि के बाद हुआ है जबकि वह दस्तावेज सत्यापन में इस अवधि को गणना में लेते हुए समिलित हुआ है। यदि कोविड अवधि को गणना में समिलित नहीं किया जाये, क्योंकि इस अवधि का मुगलान आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त हुआ है, अभ्यर्थी को मात्र 10 प्रतिशत अंक देय होंगे। अतः समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद हुए मुगलान के कार्यानुभव को गणना में समिलित किया जाये अथवा नहीं?
7	55	Vipin Raj Shakya	Hemraj Shakya	PH160069	<p>अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 14113 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन से पहले स्वयं के मोबाईल गुम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन की सूचना नहीं मिलने के कारण स्वयं को अनुपस्थित होना बताया है एवं आक्षेप लगाया है कि विभाग द्वारा उसे ई-मेल के माध्यम से सूचित नहीं किया गया।</p> <p>अभ्यर्थी को उनके स्वयं के द्वारा आवेदन में भरे गये डेटा में दिये गये औसत प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनपुस्थित (एबसेन्ट) रहा। तत्पश्चात् अनपुस्थित (एबसेन्ट) रहे अभ्यर्थियों को 23.9.2023 को विज्ञप्ति क्रमांक 9773 जारी कर पुनः एक और भौका दिया गया था एवं साथ ही विज्ञप्ति क्रमांक 9772 दिनांक 23.9.2023 जारी कर सूचित कर दिया गया था कि सभी सूचनाये वेबसाइट के माध्यम से ही दी जायेंगी। इस प्रकार समस्त अभ्यर्थियों हेतु एक ही व्यवहार अपनाया गया है। किसी भी व्यक्ति को ई-मेल अथवा पत्राचार के माध्यम से सूचना नहीं दी गयी है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देकर स्वयं को ईमेल के माध्यम से सूचित नहीं किये जाने का आक्षेप लगाया जा रहा है।</p> <p>अभ्यर्थी श्री विपिन राज को उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनपुस्थित (एबसेन्ट) रहा है। अनपुस्थित (एबसेन्ट) रहे अभ्यर्थियों को पुनः एक और अवसर दिया जा चुका है, किन्तु अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत कारणों से इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहा है जबकि दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अभ्यर्थियों तक पहुंचाने हेतु सभी के साथ समान व्यवहार अपनाया गया था। अतः रिट याचिका संख्या 14080 / 2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 15 (एच) को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में अनपुस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता।</p>

हतु आमात्रत नहा किया जा सकता।

						तदनुरूप अभ्यर्थी श्री विपिन राज का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
8	56	Rajendra Kumar Tank	Brij Mohan Tank	PH135236	<p>अभ्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 16019 / 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रख्यां के जाति वर्ग में परिवर्तन हेतु निवेदन किया है।</p> <p>अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार टांक द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन किया था। आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण सूचना भरने के उपरान्त दिनांक 29.6.2023 से 7.7.2023 तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन त्रुटि संशोधन का मौका दिया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त समय त्रुटि संशोधन नहीं किया गया। अभ्यर्थी को उसके द्वारा भरी गई सूचना के आधार अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपरिधित नहीं हुआ एवं बाद में पुनः एक अवसर विज्ञप्ति दिनांक 23.9.2023 के माध्यम से प्रदान किया गया था जिसका अभ्यर्थी द्वारा लाभ नहीं प्राप्त किया गया। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपरिधित हो जाता तो उसके पास अपनी श्रेणी सही करवाने का अवसर हो सकता था क्योंकि वह दोनों ही श्रेणियों में वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर रहा था। नोट: श्रेणी परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने रिट संख्या 13614 / 2019 जयेश कुमार बनाम सरकार, डी.बी. अपील संख्या 7840 / 2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार, डी.बी. अपील संख्या 875 / 2012 दातार सिंह बनाम सरकार तथा डी.बी. अपील संख्या 3331 / 2014 सुनील भंवरिया बनाम सरकार</p>	<p>अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार टांक को उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनपुरिधित (एव्हसेन्ट) रहा है। अनपुरिधित (एव्हसेन्ट) रहे अभ्यर्थियों को पुनः एक और अवसर दिया जा चुका है, किन्तु अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत कारणों से इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहा है। अतः रिट याचिका संख्या 14080 / 2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 15 (एच) को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज सत्यापन में अनुपरिधित रहे अभ्यर्थियों हेतु उपर एक अन्य प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार यह निर्णय लिया जाता है कि अभ्यर्थी को अब दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता। साथ श्रेणी परिवर्तन की मांग को भी नहीं रखीकारा जा सकता। तदनुरूप अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार टांक का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।</p>

					मेरी निर्णय पारित कर याचिकाकर्ताओं की श्रेणी परिवर्तन की मौग को अस्वीकार किया जा चुका है।	
9	57	Ramesh Kumar	Bhagwana Ram	ARN118572	<p>अभ्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 13839 / 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नियेदन किया है कि उसने स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में 12वीं कक्षा के स्थान पर 10वीं कक्षा के अंक प्रविष्ट कर दिये जिस कारण कम प्राप्तांक रह जाने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची में स्थान नहीं बना पाया। अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर दस्तावेज सत्यापन करवाकर चयनित सूची में शामिल करने की कृपा करने का अनुरोध किया है।</p> <p>अभ्यर्थी सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची में स्थान नहीं बना सका जिसके लिये उसने स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में 12वीं कक्षा के स्थान पर 10वीं कक्षा के अंक प्रविष्ट कर दिये जाने को कारण बताया है जबकि सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन त्रुटि सुधार हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 6266 दिनांक 11.7.2023 द्वारा दिनांक 12.7.2023 से 18.7.2023 तक अवसर प्रदान किया गया था एवं इसके उपरान्त भी यदि त्रुटि सुधार नहीं कर पाया हो तो अभ्यर्थियों से त्रुटि सुधार हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 9349 दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से परिवेदनाएं आमंत्रित कर संस्थान स्तर पर त्रुटि सुधार कर दिया गया था। इस प्रकार अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जा चुका है। यदि किसी एक अभ्यर्थी को पुनः त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाता है तो शेष ऐसे समान परिस्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा।</p>	<p>अभ्यर्थी सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची में स्थान नहीं बना सका जिसके लिये उसने स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में 12वीं कक्षा के स्थान पर 10वीं कक्षा के अंक प्रविष्ट कर दिये जाने को कारण बताया है। अभ्यर्थी को दो बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जा चुका है। यदि अभ्यर्थी को पुनः अवसर दिया जाता है तो इसका प्रभाव जारी की जा चुकी सम्पूर्ण मेरिट सूची पर पड़ेगा जिससे चयन सूची में चयनित व्यक्ति को चयन से वंचित भी रहना पड़ सकता है। अतः रिट याचिका संख्या 14080 / 2023 राजेन्द्र कुमार बैठीवाल में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 15 (एच) को ध्यान में रखते हुए व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है एवं समिति द्वारा दिनांक 3.11.2023 को लिये गये नीतिगत निर्णयों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है अतः अब किसी भी व्यक्ति को त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। तदनुरूप अभ्यर्थी श्री रमेश कुमार का अभ्यावेदन</p>

						अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।	
10	58	Mohneesh Srivastav	Sanjay Srivastav	PH168325	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 7 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण में शून्य के स्थान पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 21.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 58.260 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया गया हो तो उस अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया।
11	59	Ram Lal	Hari Ram	PH134985	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 7 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण में शून्य के स्थान पर	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 21.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जाना स्पष्ट नहीं है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में यदि भुगतान किया जा चुका हो तो किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया

				नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	का अनुभव गणना में समिलित किया जाये अर्थवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 64.800 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	गया हो तो उस अवधि को गणना में समिलित नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुरिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में समिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि यदि भुगतान नहीं हुआ है तो सम्बन्धित अधिकारी से भुगतान के सम्बन्ध में रिति स्पष्ट कराई जाये कि उक्त अवधि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है अर्थवा नहीं एवं यदि किया जाना अपेक्षित है तो अब तक भुगतान लम्बित रहने का कारण तथा भुगतान किये जाने की संभावित समय सीमा की जानकारी प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।	
12	60	Mayank Lawaniya	Lokendar Sharma	PH192674	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 10 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण में शून्य के स्थान पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 18.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जाना स्पष्ट नहीं है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में यदि भुगतान किया जा चुका हो तो किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में समिलित किया जाये।	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कौविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया गया हो तो उस अवधि को गणना में

25/38/2024/6
Page 13 of 29

					अर्थवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 59.364 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	समिलित नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में समिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि यदि भुगतान नहीं हुआ है तो सम्बन्धित अधिकारी से भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जाये कि उक्त अवधि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं एवं यदि किया जाना अपेक्षित है तो अब तक भुगतान लम्बित रहने का कारण तथा भुगतान किये जाने की संभावित समय सीमा की जानकारी प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।
13	61	Kashmira Devi	Madan Lal	PH100310	अम्यर्थी द्वारा रिट यांचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 10 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण में शून्य के रथान पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अम्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 18.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जाना स्पष्ट नहीं है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में यदि भुगतान किया जा चुका हो तो किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में समिलित किया जाये अर्थवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कौविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया गया हो तो उस अवधि को गणना में समिलित नहीं किया जा सकता। अतः

					15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 63.467 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुसार नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि यदि भुगतान नहीं हुआ है तो सम्बन्धित अधिकारी से भुगतान के सम्बन्ध में रिस्थिति स्पष्ट कराई जाये कि उक्त अवधि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं एवं यदि किया जाना अपेक्षित है तो अब तक भुगतान लम्बित रहने का कारण तथा भुगतान किये जाने की संभावित समय सीमा की जानकारी प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।	
14	62	Balram Yadav	Laxminarayan Yadav	PH176848	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 9 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु नियेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 19.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में ओवीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा बताया गया है कि भर्ती हेतु आवेदन कर देने के उपरान्त इस अवधि का भुगतान हो चुका है एवं जैसा पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट

					जिसमें इनके प्राप्तांक 59.919 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया।	
15	63	Manish Kumar Kansal	Kedar Prasad Kansal	PH169452	अम्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना मेंकोविड काल के अनुभव का 10 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अम्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 18.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं। प्रार्थी ने रख्य को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 63.125 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	
16	64	Dharamveer	Bodal Singh	PH104915	अम्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8548/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अम्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 20.5.2021 से 27.5.	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु

				आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 8 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण में शून्य के स्थान पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में समिलित किया जाये अथवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 64.164 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा बताया गया है कि भर्ती हेतु आवेदन कर देने के उपरान्त इस अवधि का भुगतान हो चुका है एवं जैसा पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुरिक्ति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इस अवधि को गणना में समिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण गया।	
17	65	Gaurav Kumar	Kailashi Ram	PH177214	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 8392 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का 9 दिवस का भुगतान हो जाने के कारण जारी अनुभव प्रमाण में शून्य के स्थान पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अभ्यर्थी को मुख्य विकल्पा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 19.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसका बाद में भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि बाद में किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में समिलित किया जाये अथवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 59.298 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा बताया गया है कि भर्ती हेतु आवेदन कर देने के उपरान्त इस अवधि का भुगतान हो चुका है एवं जैसा पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात् जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुरिक्ति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो तो इसे

						अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण गया।
18	66	Neeraj Kumar Sharma	Kedarmal Sharma	PH165669	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16052/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़ते हुए दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा 20 दिन के कार्य को 30 दिन के बराबर मानते हुए गणना करने का निवेदन किया है जिसके आधार पर स्वयं का दो वर्ष से अधिक का अनुभव होना बताया है।	अभ्यर्थी ने स्वयं दिनांक 21.11.2016 से 04.11.2018 तक का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो 02 वर्ष से कम का है। अतः अभ्यर्थी के कथनानुसार 2 वर्ष से अधिक का अनुभव किसी प्रकार भी संभव नहीं है। उक्त अनुभव अवधि कोविड काल में नहीं है जिस हेतु अभ्यर्थी को केवल 10 बोनस अंक ही देय हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 47.73 प्रतिशत बनते हैं जो इनके स्वयं के जाति वर्ग ई.डब्ल्यू.एस.में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.652 से कम होने के कारण इन्हे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी श्री नीरज कुमार शर्मा का अभ्यावदेन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
19	67	Deepak	Gulab Singh	PH153591	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग एमबीसी-एनसीएल में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक अधीक्षक, श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय समूह, भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 311 दिवस (कटौती उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 38.700 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक 311 दिवस (कटौती उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं।

					प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ऐमबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.333 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।	अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 38.700 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ऐमबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.333 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी श्री दीपक का अम्यावेदन अरवीकार कर निस्तारित किया जाता है।	
20	68	Banti Kumar	Kaptan Singh	PH148072	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु नियेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समर्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 23.6.2022 से 4.5.2023 तक का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 316 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 53.836 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ऐमबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 57.686 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 23.6.2022 से 4.5.2023 तक 316 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 53.836 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ऐमबीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 57.686 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी श्री बन्टी कुमार

						का अभ्यावेदन अस्थीकार कर निस्तारित किया जाता है।
21	69	Anupam Kumari	Chandan Singh	PH167488	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 311 दिवस (कटौती उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 48.432 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ओवीसी-एनसीएल महिला वर्ग में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 49.667 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।
22	70	Arun Kumar	Radhakrishan Sharma	PH151606	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में एक अनुभव प्रमाण पत्र भरतपुर जिला सहकारी उपमेक्ता थोक	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक 311 दिवस (कटौती उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 48.432 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ओवीसी-एनसीएल महिला वर्ग में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 49.667 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी श्री अनुपम कुमारी का अभ्यावेदन अस्थीकार कर निस्तारित किया जाता है।

					सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	भंडार लिमिटेड एवं अधीक्षक, श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय समूह, भरतपुर द्वारा जारी 2 प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें कुल 712 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर 10 बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी की कुल अनुभव अवधि 2 वर्ष से कम है जो कोविड काल में नहीं है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 10 बोनस अंक ही बनते हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 47.267 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.652 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी श्री अरुण कुमार का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।	
23	71	Dhirendra Kumar	Murari Lal Sharma	PH204670	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डंटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 25.6.2022 से 30.4.2023 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 310 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है एवं इनका कार्य भी फार्मसिस्ट के कार्य के समान होना नहीं बताया गया। समान जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 44.694 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 310 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका सं 14080 / 2023 राजेन्द्र बैनीवाल बनाम

					ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.652 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।	राज्य सरकार में स्पष्ट आदेश दिया है कि विभाग भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की कङ्गाई से पालना किया जाना सुनिश्चित करे। नियम 19 का संबंध समान कार्य होने पर ही बोनस का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है। चूंकि अभ्यर्थी श्री धीरेन्द्र द्वारा सम्पादित कार्य को अनुमत प्रमाणपत्र जारीकर्ता अधिकारी द्वारा फार्मासिस्ट के कार्य के समान नहीं होना बताया है अतः किसी भी तरह से इन्हे अनुमत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 44.694 प्रतिशत बनते हैं जो स्वयं की जाति वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.652 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी श्री धीरेन्द्र कुमार का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
24	72	Vikram Singh	Avtar Singh	PH157449	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुमत प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 311 दिवस (कटीती उपरान्त) का अनुमत एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक 311 दिवस (कटीती

					बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 59.500 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग अनारक्षित पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.600 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।	उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 59.500 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग अनारक्षित पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.600 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अत अभ्यर्थी श्री विकम सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।	
25.	73	Ramavatar	Surajmal	PH155195	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 315 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 45.467 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.652 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक 315 दिवस का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 45.467 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.652 से कम होने के कारण अभ्यर्थी

						को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अत अभ्यर्थी श्री रामअवतार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।	
26	74	Alok Singh Maderna	Lal Singh Maderna	PH157454	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 16713 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समर्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर उनके जाति वर्ग में वरीयता अनुसार आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें 311 दिवस (कटौती उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 56.159 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ओवीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.686 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है।	
27	75	Sabana Bano	Abdi Hanif	PH161306	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 15187 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना	अभ्यर्थी के पास कोविड अवधि का अनुभव नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन कोई भी परिवेदना भी प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन में कोई भी अनुभव प्रमाण	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार कोविड अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के दौरान कार्य करने पर ही 1 वर्ष से कम अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में 24.6.2022 से 4.5.2023 तक 311 दिवस (कटौती उपरान्त) का अनुभव एवं कोविड अवधि में कार्य नहीं करना दर्शाया है जिसके आधार पर शून्य बोनस अंक बनते हैं। अभ्यर्थी के कुल औसत प्राप्तांक 56.159 प्रतिशत है जो स्वयं की जाति वर्ग ओवीसी-एनसीएल पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.686 से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अत अभ्यर्थी श्री आलोक सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

					दस्तावेज सत्यापन हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा यूटीबी कार्यानुभव के बोनस अंकों का लाभ देकर दस्तावेज सत्यापन करवाये जाने हेतु निवेदन किया है।	पत्र संलग्न नहीं किया है किन्तु दिनांक 7.6.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जारी दिनांक 19.7.2022 से 4.5.2023 तक 290 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया है जो कोविड अवधि के बाद का व एक वर्ष से कम का है जिसके आधार पर इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है।	अवधि हेतु बोनस अंक देय है। आवेदक द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक) के पश्चात एक वर्ष से कम अवधि तक कार्यरत रहा है। दिनांक 7.6.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपर द्वारा जारी दिनांक 19.7.2022 से 4.5.2023 तक 290 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया है जो कोविड अवधि के बाद का व एक वर्ष से कम का है जिसके आधार पर इन्हे अनुभव का लाभ देय नहीं है फलस्वरूप इन्हे दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी शवाना बानों का अभ्यावेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
28	76	Nirmal Singh	Girdhari Singh	PH170214	अभ्यर्थी ने अपने विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक दर्शाते हुए माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 16792/2023 के माध्यम से स्वयं का दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं के द्वारा भरे हुए डेटा के आधार पर बी.फार्मा के अंकों का 70 प्रतिशत लेकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 54.788 प्रतिशत बनते हैं जिसमें 15 बोनस अंक सम्मिलित हैं। अभ्यर्थी के जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.686 हैं। अभ्यर्थी ने ओवदन में बी.फार्मा के अंक ही भरे हैं जो न्यूनतम योग्यता है। अभ्यर्थी के एम.फार्मा के अंकों के आधार पर प्रतिशत अंक नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि न्यूनतम योग्यता के अंकों को ही गणना में सम्मिलित किया जाना है जैसा कि पूर्व की मर्तियों में किया जाता रहा है एवं डी.बी. सिविल अपील सं	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरे हुए डेटा के आधार पर बी.फार्मा के अंकों का 70 प्रतिशत लेकर कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 54.788 प्रतिशत बनते हैं जिसमें 15 बोनस अंक सम्मिलित हैं। अभ्यर्थी के जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.686 हैं। अभ्यर्थी ने ओवदन में बी.फार्मा के अंक ही भरे हैं जो न्यूनतम योग्यता है। अभ्यर्थी के एम.फार्मा के अंकों के आधार पर प्रतिशत अंक नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि न्यूनतम योग्यता के अंकों को ही गणना में सम्मिलित किया जाना है जैसा कि पूर्व की मर्तियों में

					21/2016 बजरंगलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में इसे उचित ठहराया है।	किया जाता रहा है ताकि विधिवत रूप से अभ्यर्थियों के अंकों की गणना व तुलना की पद्धति में समरूपता (Parity) स्थापित हो सके। अतः भर्ती नियम 2019 में दी गई न्यूनतम योग्यता एवं डी.बी सिविल अपील से 21/2016 बजरंगलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.8.2016 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी श्री निर्मल सिंह का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्तारित किया जाता है।	
29	77	Deepak Sharma	Arvind Kumar Sharma	PH157920	अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 15948/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन के समय ईब्ल्यूएस सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया था। तत्पश्चात् ऑनलाईन अपलोड नहीं होने के कारण ऑफलाईन कार्यालय में जमा करवाना बताया है। स्वयं को ईब्ल्यूएस वर्ग में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया है एवं अनारक्षित वर्ग की निर्धारित फीस 500 रुपये दी है। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार के लिये दिये गये समय अवधि में भी कोई त्रुटि सुधार अपने जाति वर्ग में नहीं किया गया। अभ्यर्थी ने दिनांक 18.09.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं के जातिवर्ग में परिवर्तन चाहा है जो पत्रावली पर दिनांक 19.10.2023 के निर्देशानुसार मान्य नहीं हैं। इसी प्रकार के अन्य समान मामलों में माननीय न्यायालय ने सिविल रिट संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार, डीबी 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार, डीबी 875/2012 दातार सिंह बनाम सरकार, डीबी 3331/2014 सुनील भंवरिया बनाम सरकार में न्यायालय ने अभ्यर्थी के जाति वर्ग के परिवर्तन करने से मना कर दिया है।	अभ्यर्थी ने अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया है एवं अनारक्षित वर्ग की निर्धारित फीस 500 रुपये दी है। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार के लिये दिये गये समय अवधि में भी कोई त्रुटि सुधार अपने जाति वर्ग में नहीं किया गया। अभ्यर्थी ने दिनांक 18.09.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं के जातिवर्ग में परिवर्तन चाहा है जो डी.ओ.पी. के निर्देशानुसार मान्य नहीं है। इसी प्रकार के अन्य समान मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं विज्ञापिति की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी श्री दीपक शर्मा द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

30	78	Munni Ram	Shri Ram Niwash	ARG	<p>अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 14070 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में 12वीं कक्षा के अंक प्रविष्ट कर दिये गये जिस कारण अभ्यर्थी कटऑफ मार्क्स के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की सूची में नहीं आ पाया। अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर दस्तावेज सत्यापन करवाकर घयनित सूची में शामिल करने की कृपा करें।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु निवेदन किया है जबकि उक्त अभ्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में आवेदन ही नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थी श्री मुन्नीराम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।</p>
31	79	Dharmesh Kumar	Sharvan Kumar	ARN100217	<p>अभ्यर्थी ने विशेष योग्यजन वर्ग से आवेदन किया था किन्तु मेरिट सूची में स्वयं का नाम नहीं होना बताया है। अंतिम वरियता सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक सवाई मान सिंह चिकित्सालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार प्रार्थी की दिव्यांगता Locomotor (Stiff Left Hip) less than 40% दर्शाई गयी है। अतः नियमानुसार 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आरक्षण का पात्र नहीं है।</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक सवाई मान सिंह चिकित्सालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार प्रार्थी की दिव्यांगता Locomotor (Stiff Left Hip) less than 40% दर्शाई गयी है। नियमानुसार 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने के कारण अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु पात्र नहीं है। किन्तु अतः अभ्यर्थी श्री धर्मेश कुमार द्वारा स्वयं की 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया है अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी की दिव्यांगता के संबंध में दो विभिन्न मत होने के परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः सवाई</p>

						मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के मिन्न मेडिकल बोर्ड से राय प्राप्त कर लिया जाना चाहिए होगा।
32	80	Mangilal	Khangara Ram	ARG116683	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया था किन्तु प्रोविजनल सूची में चयन नहीं होना बताया है।	इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध फैडरेशन की सूचना उनके पत्र दिनांक 5.3.2024 द्वारा प्राप्त हो गई है जिसमें इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से Affiliated संस्थाओं की सूची दी गई है जिसके अनुसार ICE Hockey Association of India इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से Affiliated संस्था नहीं है। अतः खेल प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा सकता। इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा पत्र के माध्यम से दी गई संबद्ध फैडरेशन की सूचना अनुसार ICE Hockey Association of India इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से Affiliated नहीं है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर राज्य कीड़ा परिषद से भी राय प्राप्त कर लिया जाना उचित रहेगा।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य राज्यों को जींघ कार्य हेतु भेजी गई अंकतालिकाओं के सत्यापन करने के एवज में कुछ राज्यों की कौंसिल द्वारा शुल्क की मांग की जा रही है, के मुददे को समिति के समक्ष रखा गया। इस संबंध में चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य के नियमानुसार यदि इस प्रकार का कोई शुल्क देय है तो इस शुल्क की पूर्ती इन भर्तियों हेतु प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि में से शिफू के माध्यम से किया जा सकता है।

थैटक संघन्यवाद समाप्त हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पक. विभाग
राजस्थान सरकार

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

प्रबन्ध निदेशक,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम., मुख्यालय

विशेषाधिकारी,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

राजस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (शुप-3) विभाग

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय


विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क-2 / नियम)


विशिष्ट आमंत्रित
(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-2)


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय


विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव,
विधि विभाग)



विशिष्ट आमंत्रित
(औषधि नियंत्रक-प्रथम, आयुक्तालय औषधि
नियंत्रक एवं खाद्य सुरक्षा, वि. एवं स्वा.
विभाग)


उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय


विशिष्ट आमंत्रित ३/५/२५
(प्रतिनिधि:- अधीक्षक सवाई मानसिंह
चिकित्सालय)


उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय


विशिष्ट आमंत्रित
(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर-1)


विशिष्ट आमंत्रित
(रजिस्ट्रार, राजस्थान कार्मसी कॉसिल)